

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण
प्रकरण संख्या 150/2024 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)
टायगर होम फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड (पूर्व में अडानी हाऊसिंग फाईनेन्स प्राईवेट लिमिटेड), एस-18-19,
महिमा त्रिनिटी मॉल, प्लॉट नं. 5, स्वेज फार्म, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री मन्नी राम यादव पुत्र श्री रूडा राम यादव,
2. श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री मन्नी राम यादव,
पता: रामूडा ढहर की ढाणी, खेजरोली, जयपुर
एवं खाता संख्या 181, कुल खसरा 4, 2.26 हेक्टेयर, खसरा संख्या 5990, 5991, 6009, 6011, ग्राम
खेजरोली, तहसील चौमूं, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002.

उपस्थित:- श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 22.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 26.09.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री मन्नी राम यादव के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति खाता संख्या 181, खसरा संख्या 5990, 5991, 6009, 6011 कुल खसरा 4, 2.26 हेक्टेयर के 1/18 भाग में स्थित प्लॉट ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 184.31 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल राशि 09,95,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

यस
जिम्मा मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 09,95,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 12,42,547/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.05.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती झूमा देवी पत्नी श्री मन्नी राम यादव के स्वामित्व की बंधक आवासीय संपत्ति खाता संख्या 181, खसरा संख्या 5990, 5991, 6009, 6011 कुल खसरा 4, 2.26 हेक्टेयर के 1/18 भाग में स्थित प्लॉट ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जयपुर, क्षेत्रफल 184.31 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
6. आदेश आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ॥



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला न्यायाधीश
(अपराध) जयपुर (राजस्थान)